क्रम संख्या–126

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 24 सितम्बर, 2004 ई0

आश्विन 02, 1926 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

राजस्व विभाग

संख्या 943/18(1)/2004

देहरादून, 24 सितम्बर, 2004

अधिसूचना

प0आ0–149

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1904) की धारा 230, 294 तथा 344 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952 (यथा उत्तरांचल में लागू) में कतिपय संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2004

1. (1) यह नियमावली उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2004 कही जायेगी। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह नियमावली गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नये नियम 116–क से 116–ङ का बढ़ाया जाना

2\. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में, वर्तमान नियम 116 के पश्चात् निम्नलिखित नये नियम 116–क से 116–ङ बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:–

(1) 116–क विशेष श्रेणी के भूमिधर के लिए एक अलग श्रेणी बनाया जाना, धारा 129 ख–धारा 154(4)(1)(क), 154(4)(2)(ङ), 154(4)(2)(च) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति अथवा 154(4)(3) के अन्तर्गत अनुमति से भूमि खरीदे जाने पर राजस्व अभिलेख में दाखिल खारिज कार्यवाही के अधीन विशेष श्रेणी के भूमिधर को खतौनी में श्रेणी 1–ग में अंकित किया जायेगा।

(2) 116–ख संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को विरासत में आने वाले परिवारजनों से भिन्न व्यक्तियों के पक्ष में मुख्तारनामा करने का अधिकार, धारा 152 (क)–विरासत में आने वाले वारिस के उपलब्ध न होने की दशा में किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में मुख्तारनामा करने के लिए, इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करने पर जिले के कलेक्टर की लिखित पूर्वानुमति अथवा विदेश में रहने वाले व्यक्ति के मामले में इस आशय के शपथ–पत्र के साथ भारतीय दूतावास की लिखित पूर्वानुमति मुख्तारनामें के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

(3) 116–ग जिले के कलेक्टर की अनुमति से मुख्तारनामें के आधार पर दिनांक 31–3–2004 के बाद विक्रय विलेख का निष्पादन, धारा 152(क)(2)–दिनांक 12–9–2003 अथवा उससे पूर्व निष्पादित मुख्तारनामें के आधार पर विक्रय विलेख का पंजीयन दिनांक 31–3–2004 के बाद करने हेतु सम्बन्धित निष्पादनकर्ता द्वारा जिले के कलेक्टर से लिखित पूर्वानुमति हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। कलेक्टर के कार्यालय द्वारा ऐसे आवेदक को आवेदन–पत्र की प्राप्ति की रसीद तुरन्त दी जाएगी। जिले के कलेक्टर ऐसे मामले में सरसरी जाँच करने के उपरान्त कारण अभिलिखित करते हुए पूर्वानुमति देने अथवा न देने का आदेश पारित करेंगे। ऐसा आदेश, आवेदन–पत्र दिये जाने के 90 दिन के अन्दर पारित न किए जाने की दशा में ऐसी अनुमति स्वतः दी गई समझी जायेगी, परन्तु इसके लिए आवेदनकर्ता को इस आशय का एक शपथ–पत्र पंजीकरण के समय प्रस्तुत करना होगा, जिसकी प्रति रजिस्ट्रार/सब रजिस्ट्रार उस जिले के कलेक्टर को यथाशीघ्र अग्रसारित कर देगा। जिले का कलेक्टर इस नियम के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग दिनांक 31–03–2005 तक ही कर सकेगा।

(4) 116–घ जिले के कलेक्टर से दिनांक 31–3–2004 के बाद विक्रय विलेख पंजीकृत करने हेतु पूर्वानुमति प्राप्त करना, धारा 154(4)(1)(ख)–दिनांक 12–9–2003 अथवा उससे पूर्व निष्पादित करार के आधार पर विक्रय विलेख का पंजीयन दिनांक 31–3–2004 के बाद करने हेतु सम्बन्धित निष्पादनकर्ता द्वारा जिले के कलेक्टर से लिखित पूर्वानुमति हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, जिसकी प्राप्ति की रसीद तुरन्त दी जाएगी। जिले के कलेक्टर ऐसे मामले में सरसरी जाँच करने के उपरान्त कारण अभिलिखित करते हुए पूर्वानुमति देने अथवा न देने का आदेश पारित करेंगे, ऐसा आदेश, आवेदन–पत्र दिये जाने के 90 दिन के अन्दर पारित न किए जाने की दशा में ऐसी अनुमति स्वतः दी गई समझी जायेगी, परन्तु इसके लिए आवेदनकर्ता को इस आशय का एक शपथ–पत्र पंजीकरण के समय देना होगा, जिसकी प्रति रजिस्ट्रार/सब रजिस्ट्रार यथाशीघ्र कलेक्टर को अग्रसारित कर देगा। जिले का कलेक्टर इस नियम के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग दिनांक 31–03–2005 तक ही कर सकेगा।

(5) 116–ङ धार्मिक प्रयोजन हेतु भूमि क्रय करने के लिए विक्रय विलेख में प्रयोजन अंकित करना, धारा 154(4)(2)(च)–धार्मिक प्रयोजन, जिसके लिए भूमि क्रय की जा रही है का पूर्ण उल्लेख विक्रय विलेख में किया जायेगा।

(6) 116—च धार्मिक प्रयोजन का तात्पर्य, धारा 154(4)(2)(च)—धार्मिक प्रयोजन का तात्पर्य विभिन्न पंथों द्वारा सम्पादित किए जाने वाले धार्मिक कृत्यों उद्देश्यों एवं संस्कारों की प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित होगा, जिसमें पूजा स्थल, प्रार्थना/कीर्तन स्थल, ध्यान केन्द्र आदि सम्मिलित होंगे।

(7) 116—छ अनुमति से भूमि क्रय हेतु आवेदन—पत्र का प्रारूप निर्धारण, धारा 154(4)(3)—विभिन्न प्रयोजनों हेतु भूमि क्रय करने के लिए निर्धारित प्रारूप प्रपत्र—क (शासन से अनुमति की दशा में) अथवा प्रपत्र—ख पर (जिले के कलेक्टर से अनुमति की दशा में) भूमि क्रय हेतु आवेदन—पत्र सम्बन्धित प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा, जो तीन प्रतियों में होगा।

(8) 116—ज शासन की अनुमति से भूमि क्रय करना, धारा 154(4)(3)(क)—विभिन्न प्रयोजनों जिनका उल्लेख धारा 154(4)(3)(क) में किया गया है के लिए भूमि क्रय हेतु सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को निर्धारित प्रारूप प्रपत्र—क पर आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, जिसकी एक प्रति उसी दिन शासन में राजस्व विभाग को भी प्रस्तुत की जायेगी। सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग तथा राजस्व विभाग द्वारा ऐसे प्राप्त आवेदन—पत्रों का एक पंजिका में क्रमवार तिथि सहित अंकन किया जायेगा जिसमें विभाग द्वारा अंतिम संस्तुति/आख्या तथा निस्तारण की तिथि अंकित की जायेगी।

(9) 116—झ प्रशासकीय विभाग द्वारा जाँच एवं संस्तुति, धारा 154(4)(3)(क)—सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव ऐसी रीति से जैसा वे उचित समझें जाँच करायेंगे और यथाशीघ्र युक्ति संगत आख्या/संस्तुति सहित शासन के राजस्व विभाग को प्रेषित करेंगे।

(10) 116—ट शासन द्वारा भूमि क्रय की पूर्व अनुमति, धारा 154(4)(3)(क)—शासन द्वारा प्रत्येक मामले में गुणदोष के आधार पर विचार करते हुए भूमि क्रय की अनुमति देने अथवा न देने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा, तथा लिखित आदेश पारित किया जायेगा। आवेदन—पत्र से 90 दिन के अन्दर ऐसी सूचना न मिलने पर आवेदनकर्ता द्वारा शपथ—पत्र के आधार पर भूमि क्रय की जा सकेगी। ऐसे शपथ—पत्र की प्रति रजिस्ट्रार/सब रजिस्ट्रार द्वारा यथाशीघ्र शासन को भेजी जायेगी। सम्बन्धित आवेदनकर्ता को यथा स्थिति सूचित किया जायेगा। शासन द्वारा दी गई अनुमति शासनादेश की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

(11) 116—ठ जिले के कलेक्टर द्वारा कृषि एवं औद्यानिक प्रयोजन हेतु भूमि क्रय हेतु अनुमति देना, धारा 154(4)(3)(ख)—कृषि एवं औद्यानिक प्रयोजन हेतु इस आशय का शपथ—पत्र कि क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग कृषि अथवा औद्यानिक प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा आवेदन—पत्र प्रपत्र ख के साथ जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसे आवेदन—पत्र की प्राप्ति की रसीद आवेदक को तुरन्त दी जायेगी। जिला कलेक्टर द्वारा प्राप्त आवेदन—पत्र को एक पंजिका में तिथि सहित अंकित करेंगे, तथा ऐसी रीति से जैसा वे उचित समझें उस पर जाँच करायेंगे और प्रत्येक मामले में गुणदोष के आधार पर विचार करते हुए भूमि क्रय की अनुमति देने अथवा न देने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे एवं कारण बताते हुए (Speaking order) आदेश पारित कर सम्बन्धित आवेदक को 90 दिन के अन्दर लिखित रूप से सूचित करेंगे। कलेक्टर द्वारा पारित ऐसा आदेश, ऐसे आदेश की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगा। आवेदन—पत्र प्रस्तुत करने के 90 दिन के अन्दर ऐसी सूचना न मिलने पर आवेदनकर्ता द्वारा शपथ—पत्र के आधार पर भूमि क्रय की जा सकेगी। ऐसे शपथ—पत्र की प्रति रजिस्ट्रार/सब रजिस्ट्रार द्वारा यथाशीघ्र उस जिले के कलेक्टर को भेजी जायेगी। इस नियम के अधीन अधिकतम भूमि धारा 154(1) में दी गयी सीमा के अन्तर्गत ही क्रय की जा सकती है।

(12) 116–ड उत्तरांचल के कमजोर वर्ग के भूमिहीन व्यक्तियों द्वारा बिना अनुमति के भूमि क्रय किया जाना, धारा 154(4)(2) की उपधारा (छ), (ज), (झ) एवं (ट)–मूल अधिनियम में जोड़ी गई धारा 154(4)(2) की उपधारा (छ), (ज), (झ) एवं (ट) में उल्लिखित व्यक्तियों के सम्बन्ध में उस उपधारा से सम्बन्धित होने का, सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र विक्रय विलेख के साथ संलग्न करना पर्याप्त होगा।

नया प्रपत्र–क का बढ़ाया जाना

3. मूल नियमावली में नियम 116–ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रपत्र–क बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

भूमि क्रय करने के लिए शासन से अनुमति प्राप्त करने हेतु निर्धारित आवेदन का प्रारूप

प्रपत्र–क

[धारा 154(4)(3)(क) एवं नियम–12]

1. आवेदक का नाम ____________ पत्नि/पुत्र/पुत्री श्री ____________
   निवासी/ग्राम ____________ तहसील ____________ जिला ____________
2. स्थाई पता (उत्तरांचल से बाहरी व्यक्ति हेतु) ग्राम ____________ तहसील ____________
   जिला ____________ राज्य ____________
3. वर्तमान व्यवसाय एवं पता ____________
4. प्रयोजन जिस हेतु भूमि क्रय की जानी है ____________
5. खरीदे जाने वाली भूमि का विवरण:
   1. जिला ____________
   2. तहसील ____________
   3. ग्राम/नगर ____________
   4. खसरा नं० तथा रकबा ____________
6. व्यक्ति जिससे भूमि खरीदी जानी प्रस्तावित है, का विवरण:
   नाम ____________ पुत्र/पुत्री श्री ____________
   ग्राम ____________ तहसील ____________ जिला ____________
7. यदि पूर्व में भी भूमि क्रय करने हेतु प्रार्थना–पत्र दिया था तो उसका विवरण निम्न प्रकार उपलब्ध कराया जाए:–
   (क) आवेदन–पत्र देने की तिथि ____________
   (ख) क्या स्वीकृति प्रदान की गई अथवा नहीं ____________
   (ग) यदि हाँ, तो आदेश की संख्या व तिथि ____________
   (घ) भूमि क्रय हेतु दी गयी अनुमति का विवरण निम्न प्रकार उपलब्ध कराया जाए:–
   (प) विक्रेता का नाम व पता ____________
   (पप) जिला ____________
   (पपप) तहसील ____________
   (पअ) ग्राम/नगर ____________
   (अ) खसरा नं० तथा रकबा ____________

8. उक्त अनुमति के अन्तर्गत क्रय की गई भूमि का विवरण ——————————

मैं सशपथ घोषणा करता/करती हूँ तथा प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त जो कुछ कहा गया है वह मेरे संज्ञान में सत्य है और कोई भी तथ्य इसमें न तो छिपाया गया है और न ही असत्य है।

दिनांक ——————

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम ——————

पता ——————

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु

प्रशासकीय विभाग की टिप्पणी—

——————————

——————————

हस्ताक्षर

प्रमुख सचिव/सचिव ——————

विभाग का नाम ——————

दिनांक ——————

4. उक्त नियमावली में प्रपत्र—क के पश्चात् निम्नलिखित प्रपत्र—ख बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:— नया प्रपत्र—ख का बढ़ाया जाना

भूमि क्रय करने हेतु कलेक्टर से अनुमति प्राप्त करने के लिए निर्धारित आवेदन का प्रारूप

प्रपत्र—ख

[धारा 154(4)(3)(ख) एवं नियम—15]

1. आवेदक का नाम —————— पत्नि/पुत्र/पुत्री श्री ——————
   निवासी/ग्राम —————— तहसील —————— जिला ——————
2. स्थाई पता (उत्तरांचल से बाहरी व्यक्ति हेतु) ग्राम —————— तहसील ——————
   जिला —————— राज्य ——————
3. वर्तमान व्यवसाय एवं पता ——————
4. प्रयोजन जिस हेतु भूमि क्रय की जानी है ——————
5. खरीदे जाने वाली भूमि का विवरण:
   1. जिला ——————
   2. तहसील ——————
   3. ग्राम/नगर ——————
   4. खसरा नं० तथा रकबा ——————
6. व्यक्ति जिससे भूमि खरीदी जानी प्रस्तावित है, का विवरण:
   नाम —————— पुत्र/पुत्री श्री ——————
   ग्राम —————— तहसील —————— जिला ——————

7. यदि पूर्व में भी भूमि क्रय करने हेतु प्रार्थना–पत्र दिया था तो उसका विवरण निम्न प्रकार उपलब्ध कराया जाए:–

(क) आवेदन–पत्र देने की तिथि ————————————

(ख) क्या स्वीकृति प्रदान की गई अथवा नहीं ————————————

(ग) यदि हाँ, तो आदेश की संख्या व तिथि ————————————

(घ) भूमि क्रय हेतु दी गयी अनुमति का विवरण निम्न प्रकार उपलब्ध कराया जाए:–

(प) विक्रेता का नाम व पता ————————————

(पप) जिला ————————————

(पपप) तहसील ————————————

(पअ) ग्राम/नगर ————————————

(अ) खसरा नं0 तथा रकबा ————————————

8. उक्त अनुमति के अन्तर्गत क्रय की गई भूमि का विवरण ————————————

————————————————————————

————————————————————————

मैं सशपथ घोषणा करता/करती हूँ तथा प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त जो कुछ कहा गया है वह मेरे संज्ञान में सत्य है और कोई भी तथ्य इसमें न तो छिपाया गया है और न ही असत्य है।

दिनांक ————————

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम ————————

पता ————————

केवल शासकीय प्रयोग हेतु

जाँच अधिकारी की टिप्पणी–

————————————————————————

————————————————————————

हस्ताक्षर

जाँच अधिकारी का नाम ————————

पदनाम ————————

विभाग का नाम ————————

दिनांक ————————

आज्ञा से,

एन0एस0 नपलच्याल,

प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. **943/18(1)/2004**, dated September 24, 2004 :

No. 943/18(1)/2004
Dated Dehradun, September 24, 2004

NOTIFICATION

In exercise of the powers under sub-section 230, 294 and 344 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (U.P. Act no. 1 of 1904) read with section 21 of the U.P. General Clauses Act, 1904, the Governor is pleased to make the following rules with a view to certain amend the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Rules, 1952 (as applicable to the State of Uttaranchal):--

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH ZAMINDARI ABOLITION AND LAND REFORMS RULES, 1952) (FIRST AMENDMENT) RULES, 2004

1. (1) These Rules may be called The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Rules, 1952) (First Amendment) Rules, 2004. Short Title and Commencement
   (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.
2. In the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Rules, 1952 (hereinafter referred as principal rules), after the existing rule 116, the following new rule 116(A) to 116(L) shall be inserted namely:-- Insertion of new rule 116 A to 116 L
   (1) **116-A A separate category shall be made for Bhumidhar with special category, Section 129B**--The persons purchasing or otherwise acquiring land u/s 154(4)(1)(a), 154(4)(2)(c), 154(4)(2)(f) without permission or u/s 154(4)(3) with prior permission shall be entered in Revenue Records in Separate Category as Bhumidhar with special category.
   (2) **116-B Right of making Power of Attorney in favour of persons who are not successor of Bhumidhar with transferable rights, Section 152(A)**--In absence of successor in order to make Power of Attorney in favour of any other person a affidavit to this affect shall be made to the collector of the District or in case of persons living abroad to Indian Embassy, who in turn can accord such prior permission, which shall be presented alongwith Power of Attorney.
   (3) **116-C Execution of Power of Attorney on the permission of the Collector of the District after 31-03-2004, Sec. 152(A)(2)**--For the registration of sale deed executed on the basis of Power of Attorney executed on or before 12-09-2003 the concerned person shall make a written Application for prior sanction to the Collector of the District. The offices of the Collector shall acknowledge the receipt of such request. The Collector shall cause a summary inquiry and take a decision to grant or not to grant such permission with reasons to be recorded. Such order shall be issued within 90 days of submission of the application otherwise such permission shall automatically be deemed to have been given. The applicant shall submit an affidavit to this effect at the time of registration. A copy of the affidavit shall be forwarded by the Registrar/Sub-Registrar to the Collector of the District. The authority under this rule can be exercised by the collector of the district only upto 31-03-2005.
   (4) **116-D Registration of Sale deed after 31-03-2004 with the prior permission of the District Collector, Sec. 154(4)(1)(b)**--For the registration of sale deed executed on the basis of agreement executed on or before 12-09-2003 the concerned person shall make a written request

for prior sanction to the Collector of the District. The offices of the Collector shall acknowledge receipt of the such request. The Collector shall cause a summary inquiry and take a decision to grant or not to grant such permission with reasons to be recorded. Such order shall be issued within 90 days of submission of the application otherwise such permission shall automatically be deemed to have been given. The applicant shall submit an affidavit to this effect at the time of registration. A copy of the affidavit shall be forwarded by the Registrar/Sub-Registrar to the Collector of the District. The authority under this rule can be exercised by the collector of the district only upto 31-03-2005.

(5) **116-E For the purchase of land for religious purposes land use is to be indicated in the sale deed, Section 154(4)(3)(F)**--Religious purpose, for which land is being purchased is to be indicated in the sale deed.

(6) **116-F Meaning of Religious Purpose, Section 154(4)(2)(f)**--Religious purposes means fulfilment of religious rites, aims and sanskars which includes place of worship, prayer/keertan meditation etc.

(7) **116-G Forms to be prescribed for purchase of land with permission, Section 154(4)(3)**--Forms have been prescribed for many application for purchase of land for various purposes. Form-A has been prescribed for the sanctions by the Govt. and Form-B has been prescribed for sanction (by the collector of the Districts).

(8) **116-H Purchase of Land after sanction from Govt., Section 154(4)(3)(a)**-- For the purpose of land for various purposes as indicated in Section 154(4)(3)(a) application in Form-A shall be made to the Principal Secretary/ Secretary in the administrative dept. in the Secretariat, a copy of this application shall be sent to Secretary Revenue the same day. In the administrative dept. and revenue dept., application shall be entered in a register serially datewise and date for recommendation of the dept. and date for final disposal shall be indicated there in.

(9) **116-I Inquiry and recommendation by Administrative Dept., Section 154(4)(3)(a)**--Concerned Principal Secy./Secy. shall get a inquiry done as they deem fit and send a recommendation to the Revenue Dept. in the Govt.

(10) **116-J Prior sanction by Govt. for purchase of land, Section 154(4)(3)(a)**-- A decision on the basis of merit shall taken by the Govt. to give or not to give permission for purchase of land and a speaking order shall be issued in this respect. If after submitting desired application in Form-A to the Govt., if no orders are passed by the Govt. within 90 days the applicant shall be entitled to purchase the said land on furnishing an affidavit. A copy of such affidavit shall be forwarded immediately to the Govt. by Registrar/Sub-Registrar. Orders passed under this rule shall be communicated to the applicant. Any sanction issued by Govt. under this rule shall be valid for 180 days.

(11) **116-K Prior sanction by the Collector of the District for purchase of land for agricultural and horticultural purposes, Section 154(4)(3)(b)**-- An affidavit to the effect that the land being purchased shall be used for agricultural or horticultural purpose an application in Form-B shall be presented to the Collector of the district. A receipt to this effect shall be given to the applicant. Collector of the district shall make entry such application in a register datewise and get it enquired in the manner he deems fit and pass a speaking order on merit allowing or rejecting the application for purchase of land within 90 days from the date of receipt of application. Order passed by Collector under this rule shall be valid for 180 days. From the date of submitting application if no sanction for purchase

of land is received within 90 days by the applicant, the applicant can purchase land on furnishing an affidavit to this effect. A copy of such affidavit shall be sent by a Registrar/Sub-Registrar to the collector of the district. Under this rule maximum land as provided u/s 154(1) can be purchased.

(12) **116-L Purchase of land by landless persons of weaker sections of without any permission, Section 154(4)(2), Sub-Section (g), (h), (i) & (j)**--Persons mentioned in Sub-Section (g), (h), (i) & (j) of newly added Section 154(4)(2) in the Principal Act shall obtain such certificate from the concerned Tahsildar and attaching this certificate with sale deed shall be sufficient to purchase land.

3. In the principal rules, after rule 116 (L) the following Form-A shall be inserted, namely-- *Insertion of new form-A*

FORM-A

Prescribed form for purchase of land with the permission of Government

[Section 154(4)(3)(a) and rule 116-J]

1. Name of the Applicant ____________ Son of ____________
   Resident of Village ____________ Tehsil ____________ Distt. ____________
2. Permanent address (in case of Non-Uttaranchali), Village ____________ Tehsil ____________
   Distt. ____________ State ____________
3. Present occupation and address ____________
4. Purpose for which the land is required ____________
5. Particulars of the land applied for:
   1. District ____________
   2. Tehsil ____________
   3. Village/City ____________
   4. Khasra number and Rakba ____________
6. Particulars of the land holder from whom land is intended to be transferred:
   Name ____________ S/o ____________
   Resident of Village ____________ Tehsil ____________ Distt. ____________
7. Whether the applicant applied previously for such permission if so, give the following particular--
   (a) Date of application if known ____________
   (b) Whether permission granted or not ____________
   (c) If yes then order no. and date ____________
   (d) Details of Permission granted for purchase of land be given as below--
      (i) Name of seller and address ____________
      ____
      (ii) Distt. ____________
      (iii) Tehsil ____________
      (iv) Village/City ____________
      (v) Khasra number and Rakba ____________
      ____
8. Details of land purchased under abovementioned permission ____________
   ____
   ____

I solemnly affirm and declare--

That whatever has been stated above is true to the best of my knowledge and belief and that nothing has been concealed or suppressed.

Date ____________

Signature of applicant
Name ____________
Address ____________

Only for Official Use

Report of Administrative Department--
____
____

Signature
Principal Secy./Secy. ____________
Name of Department ____________
Date ____________

Insertion of new form-B

4. In the said rules, after rule Form (A) the following Form-B shall be inserted namely--

FORM-B

Prescribed form for purchase of land with the permission of Collector

[Section 154(4)(3)(B) and rule 116-K]

1. Name of the applicant ____________ Son of ____________
   Resident of Village ____________ Tehsil ____________ Distt. ____________
2. Permanent address (in case of Non-Uttaranchali), Village ____________ Tehsil ____________
   Distt. ____________ State ____________
3. Present occupation and address ____________
4. Purpose for which the land is required ____________
   ____
5. Particulars of the land applied for:
   1. District ____________
   2. Tehsil ____________
   3. Village/City ____________
   4. Khasra number and Rakba ____________
6. Particulars of the land holder from whom land is intended to be transferred--
   Name ____________ S/o ____________
   Resident of Village ____________ Tehsil ____________ Distt. ____________
7. Whether the applicant applied previously for such permission if so, give the following particular--
   (a) Date of application if known ____________
   (b) Whether permission granted or not ____________

(c) If yes then order no. and date ______

(d) Details of Permission granted for purchase of land be given as below–

(i) Name of seller and address ______

(ii) Distt. ______

(iii) Tehsil ______

(iv) Village/City ______

(v) Khasra number and Rakba ______

8. Details of land purchased under overmentioned permission ______

I solemnly affirm and declare–

that whatever has been stated above is true to the best of my knowledge and belief and that nothing has been concealed or suppressed.

Date ______

Signature of Applicant

Name ______

Address ______

Only for Official Use

Report of Inquiry Officer–

Signature

Name of inquiry officer ______

Designation ______

Name of Department ______

Date ______

By Order,

N. S. NAPALCHYAL

Principal Secy.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 44 राजस्व / 415–2004–78+25 (कम्प्यूटर / रीजियो)।